

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द  
(पीठारीन अधिकारी - शक्तिसिंह भाटी, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 18/2016

दायर दिनांक 19/02/2016

निर्णय दिनांक - 01/05/2018

अनवान

1. छोगा पिता भेरा जी दत्तक पुत्र गंगाराम जी अहीर, निवासी मेघोखेडा , तहसील रेलमगरा
2. रूपा पिता भेरा जी अहीर, निवासी मेघोखेडा , तहसील रेलमगरा

वादीगण

बनाम


1. मांगीलाल पिता पेमा अहीर निवासी मेघोखेडा , तहसील रेलमगरा
2. बंशीलाल पिता श्री लोभचन्द अहीर, निवासी मेघोखेडा , तहसील रेलमगरा
3. उदयराम पिता श्री लोभचन्द अहीर, निवासी मेघोखेडा , तहसील रेलमगरा
4. नारायण पिता श्री लोभचन्द अहीर, निवासी मेघोखेडा , तहसील रेलमगरा
5. किशन पिता श्री लोभचन्द अहीर, निवासी मेघोखेडा , तहसील रेलमगरा
6. मु० मांगी बाई बेवा श्री लोभचन्द अहीर, निवासी मेघोखेडा , तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता ग्राम मेघा खेडा के आराजी संख्या 65, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127 कुल किता- 08 कुल रकबा 17-07 बीघा के सम्बन्ध में वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत करने पर इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र का जवाब मय विभाजन के प्रतिपवाद के प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विधिवत बाद सुनवाई के दौरान पक्षकारान ने विभाजन पर सहमति प्रदान करने पर प्रतिवादी का प्रतिपवाद स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 19/04/2012 को पक्षकारान के मध्य विभाजन किया गया। उक्त विभाजन से असंतुष्ट होकर प्रतिवादीगण संख्या 02 से लगायत 05 ने अपीलीय न्यायालय श्री मान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय, उदयपुर के यहाँ अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27/01/2016 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2012 निरस्त कर प्रकरण पुनः इस न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि पक्षकारो का हस्ब प्रारम्भिक डिक्री पुनः विभाजन


  
सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

प्रस्ताव तहसीलदार से तैयार करवाकर राजस्व मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों के आलोक में तथा पक्षकारों को सूचना एवं सहमति के आधार पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पुनः सुनवाई का अवसर देकर अजसरेनव निर्णय पारित करे।

इस पर पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। पत्रावली बहस में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018 के तहत ग्राम पंचायत पिपली अहिरान में आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित। वादी एवं अपने अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से बहस का अवसर बन्द किया गया।

प्रतिवादी को सुना गया एवं पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। दौराने शिविर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार रेलमगरा द्वारा विभाजन फहरिस्त तैयार की जाकर अपनी अनुशंषा सहित प्रस्तुत की गयी। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी सहमति प्रदान की गयी। प्रतिवादी का प्रतिपवाद विभाजन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन फहरिस्त के आधार पर पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्धति पर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-


| क्र.स. | नाम खातेदार   | आराजी संख्या | रकबा  | लगान |
|--------|---|--------------|-------|------|
| 1.     | छोगालाल, रूपा पिता भेरा अहीर सा.देह खातेदार मु.बि.क. ICICI बैंक शाखा कुरज | 65/1         | 01-08 | 0.56 |
|        |   | 120/1        | 00-08 | 1.40 |
|        |   | 121/1        | 00-08 | 1.61 |
|        |   | 122/1        | 00-12 | 2.70 |
|        |   | 123/1        | 00-04 | 0.90 |
|        |   | 125/1        | 00-10 | 0.35 |
|        |   | 126/1        | 00-09 | 0.32 |
|        |   | 127/1        | 00-08 | 0.28 |
|        | योग -   | किता - 08    | 04-07 | 8.12 |
| 2.     | मांगीलाल पिता पेमा अहिर सा.देह खातेदार                                    | 65/2         | 01-08 | 0.56 |
|        |   | 120/2        | 00-08 | 1.40 |
|        |   | 121/2        | 00-08 | 1.60 |
|        |   | 122/2        | 00-12 | 2.70 |
|        |   | 123/2        | 00-04 | 0.90 |
|        |   | 125/2        | 00-10 | 0.35 |
|        |   | 126/2        | 00-09 | 0.31 |
|        |   | 127/2        | 00-08 | 0.28 |
|        | योग -   | किता - 08    | 04-07 | 8.10 |

  
 सहायक कलेक्टर  
 (उप खण्ड अधिकारी)  
 रेलमगरा

|       |   |           |       |       |
|-------|---|-----------|-------|-------|
| 3.    | बंशीलाल, उदयराम, नारायण, किशन पिता<br>लोभचन्द अहिर, मु. मांगी बेवा लोभा<br>अहिर हि.ब. खातेदार | 65 मीन    | 02-14 | 1.08  |
|       |   | 120 मीन   | 00-16 | 2.80  |
|       |   | 121 मीन   | 00-17 | 3.22  |
|       |   | 122 मीन   | 01-03 | 5.17  |
|       |   | 123 मीन   | 00-09 | 2.03  |
|       |   | 125 मीन   | 00-18 | 0.63  |
|       |   | 126 मीन   | 01-00 | 0.70  |
|       |   | 127 मीन   | 00-16 | 0.56  |
| योग - |   | किता - 08 | 08-13 | 16.19 |

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट पिपली अहिरान पर सुनाया गया।

  
(शक्तिसिंह भाटी)  
सहायक जलकटर  
(उप खण्ड अधिकारी  
रेलमगरा)

मूल वाद मे डिक्री ( आदेश 20 नियम 6 व 7 )  
 न्यायालय सहायक कलक्टर ( उपखण्ड अधिकारी ) रेलमगरा जिला राजसमन्द  
 पीठासीन अधिकारी :- शक्ति सिंह भाटी आर०ए०एस०  
 राजस्व वाद संख्या :- 18/2016  
 अनवान

वादी पक्ष :-

- छोगा पिता भैरा जी दत्तक पुत्र गंगाराम अहीर निवासी मेघोखेडा तह० रेलमगरा
- रूपा पिता भैरा जी अहीर निवासी मेघोखेडा तह० रेलमगरा

बनाम


प्रतिवादीपक्ष :-

- मांगीलाल पिता पेमा अहीर निवासी मेघा खेडा तह० रेलमगरा
- बंशीलाल पिता लोभचन्द अहीर निवासी मेघाखेडा तह० रेलमगरा
- उदयराम पिता लोभचन्द अहीर निवासी मेघाखेडा तह० रेलमगरा
- नारायण पिता लोभचन्द अहीर निवासी मेघाखेडा तह० रेलमगरा
- किशन पिता लोभचन्द अहीर निवासी मेघाखेडा तह० रेलमगरा
- मु० मांगी बाई बेवा लोभचन्द अहीर निवासी मेघाखेडा तह० रेलमगरा
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

दावा :- विभाजन एवम स्थाई निषेधाज्ञा  
 वादी की ओर से :- सी०एस०शक्तावत  
 प्रतिवादी की ओर से :-आर०एल०साहू

में इस आशय मे दिनांक 01/05/2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है प्रतिवादी का प्रतिपवाद विभाजन स्वीकार किया जाकर ग्राम मेघाखेडा के आराजी संख्या 65, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, कुल किता 08 कुल रकबा 17-07 बीघा का तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन फहरिस्त के आधार पर पक्षकारान के मध्य मिटस एण्ड बोण्डस पद्धति पर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-


| क्र०स० | नाम खातेदार  | आराजी संख्या  | रकबा   | लगान   |
|--------|--|---|--|--|
| 1      | छोगालाल रूपा पिता भैरा अहीर सा०देह०<br>खातेदार मु०बी०क आई सी आई शाखा<br>कुरज | 65/1<br>120/1<br>121/1<br>122/1<br>123/1<br>125/1<br>126/1<br>127/1 | 01-08<br>00-08<br>00-08<br>00-12<br>00-04<br>00-10<br>00-09<br>00-08 | 0.56<br>1.40<br>1.61<br>2.70<br>0.90<br>0.35<br>0.32<br>0.28 |
|        | योग  | किता -08  | 04-07  | 8.12   |

  
 सहायक कलक्टर  
 (उप खण्ड अधिकारी)

|     |   |          |       |      |
|-----|---|----------|-------|------|
| 2   | मांगीलाल पिता पेमा अहीर सा0देह0 खातेदार   | 65/2     | 01-08 | 0.56 |
|     |   | 120/2    | 00-08 | 1.40 |
|     |   | 121/2    | 00-08 | 1.60 |
|     |   | 122/2    | 00-12 | 2.70 |
|     |   | 123/2    | 00-04 | 0.90 |
|     |   | 125/2    | 00-10 | 0.35 |
|     |   | 126/2    | 00-09 | 0.31 |
|     |   | 127/2    | 00-08 | 0.28 |
| योग |   | किता -08 | 04-07 | 8.10 |
| 3   | बंशीलाल उदयराम नारायण किशन पिता लोभचन्द अहीर मु0 मांगी बेवा लोभ अहीर हि0ब0खातेदार | 65 मीन   | 02-14 | 1.08 |
|     |   | 120 मीन  | 00-16 | 2.80 |
|     |   | 121 मीन  | 00-17 | 3.22 |
|     |   | 122 मीन  | 01-03 | 5.17 |
|     |   | 123 मीन  | 00-09 | 2.03 |
|     |   | 125 मीन  | 00-18 | 0.63 |
|     |   | 126 मीन  | 01-00 | 0.70 |
|     |   | 127 मीन  | 00-16 | 0.56 |
| योग |   | किता -08 | 04-07 | 8.10 |

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड मे पृथक -पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 01/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवम मोहर से जारी की गई।



(शक्ति सिंह भाटी)

सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)

रेलमगरा

